रंजनलाल ब/ज. हुकुमचन्द
दावा 4/112/03

क्र. व तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3	पत्रावली प्रस्तुत बकुलाय जबीरत उक्त जी शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आवश्यक तलबाना पेश हो दिनांक 12/12/03 को पेश हो।	
12/12/03	वादी के वकील / उभय पक्षों के बकुलाय उप०/कार्य स्थगन है। .... पेश की गई, मकान विवाद के वास्ते शेष प्रतिवादी तलबी दिनांक 30/1/04 को पेश हो। टी० आई० की अवधि दिनांक .... तक बढ़ाई जाती है। कठुमर	
30/1/04	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। पी० ओ० म० अलवर मिटिंग में पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 13-2-2004 को पेश हो। रीडर	
[illegible]	वादी के वकील / उभय पक्षों के बकुलाय उप०/कार्य स्थगन है। .... पेश की गई, मकान विवाद के वास्ते शेष प्रतिवादीगण की तलबी दिनांक 13/4/2004 को पेश हो। टी० आई० की अवधि दिनांक .... तक बढ़ाई जाती है। कठुमर	
13/4/04	बकुलाय उभय पक्ष उप०। शेष प्रतिवादी उप० नहीं। तामील हेतु वादी तलबाना आवश्यक पेश करें। पत्रावली वास्ते जवाब दावा 1-2 व तलबी शेष प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 19/5/04 को पेश हो।	
19/5/04	बकुलाय उभय पक्ष उप०। शेष प्रतिवादी उप० नहीं। तलबी हेतु वादी तलबाना पेश नहीं बकील प्रतिवादी-2 जवाबदावा पेश नहीं करने के लिए मौका दिया जाकर दिनांक 19/7/04 को पेश हो।	

म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19.07.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0 प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 व पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जवाव का अवलोकन किया। वहस पर मनन किया। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 सावित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय प्रथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र अनरजिस्टर्ड ईकरारनामा के आधार पर खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने का अनुतोष चाहा है। अन रजिस्टर्ड ईकरारनामा के आधार पर न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसे वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने अवलोकन पाया गया किवादी ने अन रजिस्टर्ड ईकरारनामा के आधार पर खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है इसको सुनने का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। वाद न्यायालय क्षैत्राधिकार से वाहर है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचनानुसार हस्तगत वाद आदेश 7 नियम 10 जा0दी0 के तहत सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वादी को वापिस लौटाया जाता है। वाद नम्बर से कम होकर फैसल किया जाता है। वाद की प्रमाणित प्रति कम पर रखते हुये मूल वाद को वादी को नियमानुसार लौटाया जावे। वाद पत्रावली पर अव कोई कार्यवाही शेष नहीं है। वाद तकमील जाप्ता प्रविष्ठ होकर जिला लेख भण्डार हो। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

रंगलाल बनाम हुकमचन्द वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0

दिनांक 19.07.2022

आदेश

प्रार्थीयान रंगलाल वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि विगत पेशी दिनांक 03.04.2022 को पत्रावली के अवलोकन से पता चला कि प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 व 8 की तामील दिनांक 30.07.2008 को बन्द कर पत्रावली में तनकीयात कायम कर साक्ष्य वादी में लगा दी है। प्रार्थीयान ने समझा कि प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 व 8 की एक्स पार्टी हो गई है पत्रावली के अवलोकन से सही तथ्य सामने आये है। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 8 दावा के आवश्यक पक्षकार है कानूनन प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 व 8 की तलवी होना जरूरी है विना तलवी के वादीगण केहक हकूकों पर विपरीत असर पडेगा तथा अदालत श्रीमान को भी न्याय निर्णयन में असुविधा होगी। प्रार्थीयान जरिये रजिस्टर्ड ए डी अथवा अखवार में साया कराने के लिये तैयार है जिससे प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 व 8 की तामील हो सके तथा मुकदमा का उचित रूप से निर्णय हो सके। अखवार साया व रजिस्ट्री का खर्चा वादीगण अदा करेगें। अतः प्रार्थीयान ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 8 की तलवो जरिये रजिस्टर्ड ए डी अथवा अखवार में साया कराकर कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलाई गई। प्रतिवादी हुकमचन्द ने प्रार्थना पत्र का जवाव पेश कर कथन किया कि वादीगण ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है सही तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने वाद पत्र पेश किया था उस समय प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 व 8 की तामील पेश की थी आगामी पेशी पर प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 व 8 की तामील पर तामील कुनिन्दा ने लिखकर दिया कि

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

ये प्रतिवादीगण गांव रामपुरा में नहीं रहते वाहर रहते है इस तथ्य की जानकारी होते हुये भी वादीगण ने उसी पते पर पुनः तलवाना न्यायालय श्रीमान में पेश कर दिया। पुनः तलवाना पर भी तामील कुनिन्दा ने प्रतिवादीगण बाहर रहते हुये अपनी रिपोर्ट में अंकित किया परन्तु वादीगण ने जान वूझ कर ना तो प्रतिवादी के नये पते की जानकारी की और ना ही न्यायालय श्रीमान में नया पता पेश करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। वादीगण ने दावा पेश करने के समय से दिनांक 30.07.2008 तक काफी बार मौका मिलने के बाबजूद भी सन् 2003 से दिनांक 30.07.2008 तक न्यायालय श्रीमान में तीन बार तलवाना पेश किया है दिनांक 12.12.2005 को न्यायालय श्रीमान ने बार बार अवसर दिये जाने के बाबजूद भी वादीगण ने प्रतिवादीगण का सही पता पेश नहीं किया उक्त दिनांक को न्यायालय श्रीमान ने आदेश दिया कि यदि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 व 8 का तलवाना विधि अनुसार नये पते पर पेश नहीं किया तो वादी का दावा आगामी तारीख पेशी पर आर्डर 9 रूल 5 जा0दी0 के तहत दावा डिफाल्टर में खरिज फर्माने के आदेश दिये है। उक्त आदेश की वादीगण को विधिवत रूप से जानकारी थी परन्तु वादीगण ने पुनः तलवाना न्यायालय श्रीमान में पेश किया तो भी प्रतिवादीगण का सही पता पेश नहीं किया। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के वाद दिनांक 30.07.2008 को प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 8 की तामील बन्द कर दी और पत्रावली वास्ते तनकी में लगा दी। उक्त आदेश की भी जानकारी वादीगण को भली भांति थी। वादीगण ने जान वूझ कर प्रतिवादीगण के नये पते की जानकारी कर ना तो दावा में उनके पते में संशोधन कराया और ना अदालत श्रीमान से इजाजत लेकर प्रोपर पते पर तलवाना पेश किया और ना इनकी तामील वावत अखवार में साया कराया और ना रजिस्टर्ड डाक से तामील भिजवाई। पत्रावली वहस अंतिम में चल रही है। न्यायालय श्रीमान के आदेश दिनांक 30.07.2008 के निरस्त कराने वावत वादीगण ने आज तक उच्च न्यायालय में कोई रिवीजन पेश नहीं की और ना उक्त आदेश को निरस्त कराने वावत अदालत श्रीमान में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। वादीगण को बार बार प्रतिवादीगण के सही पते पर तलवाना पेश करने का अवसर दिये जाने के बाबजूद भी सही पते पर प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

का तलवाना पेश कर तामील नहीं कराई है इस वजह से आदेश दिनांक 30.07.2008 को निरस्त कराने का वादीगण अधिकार नहीं रखते है। इस स्टेज पर वादीगण का प्रार्थना पत्र मेन्टनेविल नहीं है। महज मुकदमा को लम्बा करने की नियत से मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज किया जावे।

वहस सुनी गई। पत्रावली की आर्डर सीट व प्रतिवादीगण की तामील हेतु वादीगण द्वारा पेश किये तलवाना तथा उन पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सं0 3, 4, 5 व 8 की तलवी रजिस्टर्ड एडी अथवा अखवार में साया कराकर कराये जाने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी वहस के दौरान अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अदालत श्रीमान द्वारा बार बार अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण की सही पते पर तलवाना पेश करने, माननीय न्यायालय के आदेश की उच्च न्यायालय में रिवीजन नहीं करने अथवा उक्त आदेश को निरस्त करने वावत न्यायालय श्रीमान में अव तक कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने व मुकदमा को लम्बा करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश करने की वजह से प्रार्थना पत्र वादीगण खारिजकिये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की वहस पर मनन किया। यह सही है कि वादीगण ने प्रतिवादी सं0 3, 4, 5 व 8 की बार बार अवसर दिये जाने पर व यह जानते हुये कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की तामील के लिये जो तलवाना पेश किया जा रहा है वो सही पते पर नहीं है। तामील कुनिन्दा ने पहली तामील पर ही प्रतिवादीगण ग्राम रामपुरा नहीं रहते का अंकन किया है। लेकिन इसके वावजूद भी वादीगण ने प्रतिवादीगण के सही पते की जानकारी कर मुकदमा में पते का संशोधन नही कराया और ना सही पते का तलवाना पेश किया बल्कि

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पुनः उसी पते पर तलवाना प्रतिवादीगण की तामील हेतु पेश कर दिया जिस पर प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई। दावा पेश करने की दिनांक 30.07.2008 तक वादीगण को प्रतिवादीगण की तामील हेतु काफी अवसर दिये गये लेकिन वादीगण ने सन् 2003 से दिनांक 30.07.2008 तक पुराने पते पर तीन वार तलवाना पेश किया इस वजह से प्रतिवादीगण की तामील नहीं हो पाई। दिनांक 12.12.2005 को अदालत हाजा द्वारा वादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि यदि प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 8 का सही पते पर तलवाना पेश नहीं किया गया तो दावा आगामी तारीख पेशी पर डिफाल्ट में खारिज कर दिया जावेगा। जिसकी वादीगण को जानकारी थी। लेकिन वादीगण ने इसके वावजूद भी प्रतिवादीगण के नये पते की जानकारी कर सही पते पर तलवाना पेश नहीं किया। इस वजह से विधिनुसार दिनांक 30.07.2008 को प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 8 की तामील बन्द की जाकर पत्रावली में तनकीयात कायम कर दी गई। पत्रावली में साक्ष्य पूरी होकर पत्रावली वहस अंतिम में लगी हुई है। चूकि प्रकरण काफी पुराना है। वादीगण को प्रकरण पर चल रही सारी कार्यवाही की जानकारी थी लेकिन वादीगण ने आदेश दिनांक 30.07.2008 की उच्च न्यायालय में ना तो रिवीजन की गई और ना उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु अदालत हाजा में कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अव करीब 14 साल वाद वादीगण ने उक्त आदेश को निरस्त कराने के लिये मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थना पत्र इतने विलम्ब से पेश करने का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है। प्रकरण पुराना है तथा वहस अंतिम में लगा हुआ है। वादीगण द्वारा इस स्टेज पर जो मौजूदा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश किया है जो महज प्रकरण को लम्बा करने की नियत से पेश किया जाना प्रतीत होता है। इस वजह से वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 तहरीरी दिनांक 09.06.2022 मेण्टनेविल नहीं होने की वजह से खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 19.07.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)